## अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां पे नियुक्तियां है जो रेल सेवकों के आश्रितों को परिवार की आर्थिक और अन्य स्थितियों के उचित और निरपेक्ष आंकलन के आधार पर दी जा सकती है। यदि मामला न्यायोचित है तो अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु परिवार के योग्य व्यक्ति पर विचार किया जा सकता है।

(1)परिस्थितियां जिनमें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है :

(RBd's Letter No. E(NG)II/78/RC-III,Dt30.04.79 , 07.04.83 )

(i) रेल कर्मचारी की कर्तव्य के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर ,

(ii) रेल कर्मचारी की सेवा के दौरान कार्य समय में रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर,

(iii) रेल कर्मचारी की सेवा के दौरान कार्य समय में मृत्यु हो जाने पर,

(iv) रेल कर्मचारी की प्राधिकृत रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय आधार पर अयोग्य घोषित किए जाने पर तथा उसके द्वारा चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृति चुनने पर।
कर्मचारी के सेवानिवृति से कुछ महीनों /दिनों पूर्व चिकित्सकीय आधार पर अयोग्य घोषित होने की स्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ संबंधित सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पर कर्मचारी के पुत्र या पुत्री को भी दिया जा सकता है।

(RBd's Letter No. E(NG)II/78/RC-III,Dt30.04.79 , 07.04.83 )

(v) ऐसे रेल कर्मचारी जिन्हें गम्भीर बिमारी जैसे – कैन्सर,हृदय रोग आदि हो गया हो और चिकित्सकीय रूप से विकोटिकृत हो गए है तथा जिन्होनें चिकित्सकीय आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली है जबकि उन्हें उसी पारिश्रमिक का अन्य वैकल्पिक कार्य दिया जा सकता था। ऐसे मामलों में उनके परिवार के योग्य सदस्यों को निम्न शर्तो के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है :–
(क) नियुक्ति केवल समूह –घ की योग्य श्रेणी में दी जाएगी।
(ख) ऐसी नियुक्ति केवल उसी मामले में दी जाएगी जब आंशिक रूप से विकोटिकृत घोषित किये जाते समय कर्मचारी की कम से कम 05 वर्ष या अधिक की सेवा शेष हो। (RBE 78/06, 22/14)

नोटः– अगर रेल कर्मचारी को मेडिकल मैनुअल के पैरा 512(ii) के अधीन सभी मेडिकल कोटियों में अयोग्य घोषित होने पर सेवानिवृत किया जाता है तो ऐसे मामले में अनुकम्पा नियुक्ति देय नहीं होगी।

(vi) खोए हुए/गायब रेल कर्मचारियों के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन दी जा सकती है –

(क) रेल कर्मचारी के गायब होने के कम से कम 02 वर्ष बीत जाने के पश्चात् अनुकम्पा नियुक्ति की प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है बशर्ते FIR दर्ज करा दी गई हो और गायब व्यक्ति का कोई अता–पता नहीं मिला है तथा सक्षम प्राधिकारी यह महसूस करता है कि मामला न्यायोचित है।

(ख) यह लाभ उन रेल कर्मचारी को देय नहीं होगा :–
जिनकी गायब होने की तिथि से सेवानिवृति में दो वर्ष से कम का समय शेष हो या
जिस कर्मचारी पर धोखाधडी या आंतकवादी संगठन में शामिल होने या विदेश चले जाने का संदेह हो।

(ग) ऐसे मामले में नियुक्ति को अधिकार नहीं समझा जा सकता और यह दी गई शर्तो के पूरा करने के अधीन रहेगी।

(घ) ऐसे आवेदन पर विचार करते समय पुलिस जांच के परिणाम /वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(ड़) इन सामान्य निर्देशों के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति हेतु किसी प्रार्थना पर निर्णय सक्षम प्राधिकारी अर्थात् DRM/CWM/HOD द्वारा लिया जाना चाहिए। (RBE 3/2009)

(च) यदि गायब रेल कर्मचारी बाद में उपलब्ध हो जाता है तो अनुकम्पा पर नियुक्त संतान/विधवा की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

(छ) समापन राशि के भुगतान से अनुकम्पा नियुक्ति को अलग रखा गया है। अर्थात् ऐसे मामले में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मनाही या देरी केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती की गायब

कर्मचारी के समापन राशि का भुगतान अभी उन लोगों को किया जाना है जो इसे प्राप्त करने के हकदार है।

(ज) उपर्युक्त निर्देश उन अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमेतिक श्रमिको की संतान /विधवाओं पर भी लागू होगें जो खो गए/गायब हो गए है।
(RBE 137/97)

[ नोट :– गुमशुदा व्यक्ति के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति पर सामान्य किराये पर अधिकतम तीन वर्ष रेलवे आवास रोका जा सकता है। (1+1+1/2+1/2 yrs)] (RBE 137/97)

(2) वे व्यक्ति जो अनुकम्पा नियुक्ति हेतु योग्य हैः–

(i) पूर्व कर्मचारी का पुत्र/पुत्री /विधवा/विधुर और अविवाहित पुर्व कर्मचारी के आश्रित।
(RBd's Letter No. E(NG)III/78/RC-III,Dt30.04.79 , 07.04.83 )

(ii) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विवाहित पुत्री पर भी विचार किया जा सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि विवाहित पुत्री शोकसंतप्त वरिवार का भरण–पोषण करेगी।
(RBd's Letter No. E(NG)III/78/RC-I/1 ,Dt-03.02.81 )

(iii) कर्मचारी की मृत्यु /मेडिकल अयोग्य होने की तिथि को पूर्णरूप से उस पर आश्रित विधवा/तलाकशुदा पुत्री पर भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है,यदि सक्षम प्राधिकारी परिस्थितियों से संतुष्ट है। (RBE 224/01&118/02)

(iv) जहां विधवा नौकरी नहीं कर सकती है और पुत्र /पुत्री अवयस्क है तो मामला उस समय तक लम्बित रखा जा सकता है जब तक पहला पुत्र /पुत्री वयस्क न हो जाए। वयस्क हो जाने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में विधवा/संतान अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकती है।

(v) दत्तक पुत्र /पुत्री भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने योग्य है यदि निम्न शर्ते पूरी होती है – (RBE 106/88)

(क) दत्तक ग्रहण का कानूनी वैद्य प्रमाण है।

(ख) ऐसे दत्तक ग्रहण को रेल कर्मचारी को शासित करने वाले वैयक्तिक कानून से कानूनी मान्यता प्राप्त हो।

(ग) कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया कर्मचारी की मृत्यु /विकोटिकरण की तिथि से पहले पूर्ण/वैद्य हो चुकी हो।

(घ) इस प्रकार का दत्तक ग्रहण पास नियमों के प्रावधानों के अर्न्तगत सुविधा पास/ पीटीओ जारी करने हेतु स्वीकार किया जा चुका है।
(RBd's Letter No. E 33/0 VII(CG),Dt-30.12.96 )

(vi) ऐसे रेल कर्मचारी के मामले में जो चिकित्सकीय रूप से अपंग या विकोटिकृत हो गया है और सेवानिवृति हो जाता है और यदि अनुकम्पा नियुक्ति अन्यथा देय है तो ऐसी नियुक्ति रेल कर्मचारी की पत्नि को दी जा सकती है।
(RBd's Letter No. E(NG)II/84/RC-I/105 ,Dt-16.11.84 )

(vii) अविवाहित रेल कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो गई है या चिकित्सकीय रूप में विकोटिकृत हो गया है, के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु विचार कर सकती है। ऐसे मामलों में रेलवे को आश्रितों की नियुक्ति हेतु पास घोषणा में परिवार के सदस्यों के रूप में आश्रितों के नाम शामिल करना या राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर आश्रितता के दावे में सच्चाई की पुष्टि करनी चाहिए। ऐसे प्रमाण देने वाले दस्तावेज न होने पर आश्रितता की वास्तविक स्थिति की पुष्टि करने हेतु कल्याण निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है जो परिस्थितियों की जांच करता है।

(RBE. 79/96, 66/97,17/98 &165/99 )

(viii) सामान्यतःपिता को परिवार का भरण–पोषण करने वाला माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब पति और पत्नि दोनों रेल कर्मचारी है तो पति की मृत्यु पर एक संतान को नियुक्ति दी जा सकती है परन्तु पत्नि की मृत्यु पर नहीं। परन्तु अब, यदि पति और पत्नि दोनों सेवारत है तो अनुकम्पा नियुक्ति परिवार के सिर्फ एक योग्य सदस्य को पहले हुई मृत्यु पर दी जा सकती है ।(RBE 75/97)

ये नियम उस मामले में भी लागू है जब दोनों पति और पत्नि रेल सेवक है और एक चिकित्सकीय अयोग्यता के परिणाम स्वरूप सेवानिवृत हो जाता है तथा यह नियम गुमशुदा रेल कर्मचारी के मामले में भी लागू होगा। (RBE 44/01)

(ix) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार के रेलवे में नियमित नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण के दौरान मृत्यु हो जाने /चिकित्सकीय रूप से अयोग्य हो जाने की स्थिति में मूल भूतपूर्व कर्मचारी /भूतपूर्व कर्मचारी की पत्नि जिसके अनुरोध पर प्रशासन द्वारा /अयोग्य प्रशिक्षु संतान को नियुक्ति दी गई, को दूसरा अवसर दिया जा सकता है। (RBE 87/07)

(x) यदि रेल कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है तथा जो अपने पीछे एक से अधिक विधवाएं छोड जाता है और दूसरी पत्नि से भी बच्चे है तो न्यायालय आदेश या अन्यथा प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर समापन राशि में दोनों विधवाओं की हिस्सेदारी हो सकती है परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु दूसरी विधवा और उसके बच्चों पर विचार नहीं किया जा सकता यदि प्रशासन ने वैयक्तिक कानून इत्यादि के आधार पर ,विशेष परिस्थितियों में ,दूसरे विवाह की इजाजत नहीं दी हो तो। (RBE 1/92)

(3) अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र को स्वीकार करने व नियुक्ति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी :–

(i) जिन पदों की ग्रेड रू. 4200/– तक है व सीधी भर्ती कोटा 25% से अधिक है उन मामलों में अनुरोध करने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु महाप्रबन्धक द्वारा विचार किया जायेगा तथा जिन पदों का ग्रेड पे रू. 4200/–से अधिक अथवा रूपये 4200/– है, लेकिन सीधी भर्ती का कोटा 25% या कम है वहां अनुरोध पर यथोचित औचित्य तथा महाप्रबन्धक की निजी सिफारिश पर मामला रेलवे बोर्ड को विचारार्थ भेजा जायेगा। (RBE 80/2010)

(ii) RBE 80/2010 के अन्तर्गत ग्रेड पे 4200/– व 4600/–के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जो शास्तियां रेलवे बोर्ड के पास थी वे अब महाप्रबन्धक को दे दी गई है। (RBE 77/11)

(iii) 4600/- ग्रेड पे में अनुकम्पा नियुक्ति पर विचार करने हेतु यह आवश्यक है कि अभ्यार्थी प्रथम श्रेणी सहित इंजीनियरिंग स्नातक हो तथा संबंधित पद हेतु निर्धारित योग्यताएं रखता हो।
(RBE 77/11 & Bd'sLetter No. E(NG)II/1998/RC-I/64 ,Dt-28.01.14 )

(iv) स्टाफ नर्स ग्रेड पे 4600/– की कोटि में भी अनुकम्पा नियुक्ति पर आरबीई 77/11 में दी गई शर्तो के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है।
( RBd'sLetter No. E(NG)11/2011/RP-1/SL/20 ,Dt-14.09.2011 )

(v) अन्य मामले में मंडल/मंडलेत्तर कार्यालयों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने की शक्तियां DRM/CWM और HOD स्तर –I के अधिकारियों में निहित है।

[ जेई–II पद पर नियुक्ति सहित – GM/NWR L.NO 740E(R&T)/2/2/CGA/Non Sefety Non Core/Vol.I dt.01.04.15 ]

(vi) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन घटना से 05 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए और सामान्यतः अनुकम्पा आधार पर सभी नियुक्तियां घटना की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के भीतर कर दी जानी चाहिए।

(vii) पुत्र/पुत्री के अवयस्क होने की स्थिति में, अनुकम्पा के आधार के पर नियुक्ति हेतु आवेदन पुत्र/पुत्री के वयस्क होने की तिथि से 02 वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए। (RBE 100/94&101/94)

(viii) विकोटिकृत या गुमशुदा कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति घटना की तिथि से 05 वर्ष तक DRM/CWM देने में सक्षम है। (RBE 144/2000)

(ix) DRM/CWM और HOD स्तर–I के अधिकारी विधवा/विधुर या उसकी पसन्द की संतान के पक्ष में रेल कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 20 वर्ष की अवधि तक नियुक्ति देने में सक्षम है। (RBE 03/2009) पूर्व के आदेशों में संशोधन करते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि वैयक्तिक मामलों में जब कभी ऐसा माना जाता है कि कर्मचारी की मृत्यु /मेडिकल अयोग्य होने के 25 वर्ष तक के मामले को आगे बढाने का औचित्य है तो महाप्रबन्धक मेरिट आधार पर व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे मामलों को निष्पादित कर सकेगें। (RBE 77/2011)

(x) निम्नलिखित मामलों में महाप्रबन्धक का अनुमोदन आवश्यक है :– (RBE 144/2000)

(क) चिकित्सकीय अयोग्यता की तिथि से 05 वर्ष बीत जाने के पश्चात् पुत्र/पुत्री की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई प्रार्थना पर।

(ख) मृत्यु की तिथि से 25 वर्ष बीत जाने के पश्चात् विधवा/विधुर या उसकी पसन्द की संतान की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई प्रार्थना पर रेलवे बोर्ड भेजने से पूर्व। (RBE 77/2011)

(ग) अभ्यर्थी के वयस्क होने से 02 वर्ष बीत जाने के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर। उपर्युक्त निर्देश गुमशुदा हुए रेल कर्मचारी के मामले में भी लागू होगे। (RBE 44/2001)

उपर्युक्त शर्तो में निम्नलिखित शर्तो पर छूट दी जायेगी :–

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा शक्ति का उपयोग व्यक्गित रूप से किया जाएगा।

(ख) मृत कर्मचारी की विधवा ने दुबारा विवाह न किया हो।

(ग) समय सीमा में छूट के कारणों का उल्लेख रिकार्ड किया गया हो।

(घ) मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर हो।

महाप्रबन्धक ऐसे मामलों में जहां रेल कर्मचारी को 57 वर्ष की आयु के बाद (जब सेवानिवृति की आयु 58 वर्ष थी)व जहां सेवाकाल एक वर्ष से कम शेष रहा हो,मुख्य चिकित्सा अधिकारी की विशेषज्ञ सलाह पर अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत रेल कर्मचारी की अशक्तता स्वीकार करने में सक्षम है।

( RBd'sLetter No. 85/h/5/10 ,Dt-26.06.90 )

(4) आयु में छूट :–

(i) निम्न आयु सीमा में एक वर्ष तक की छूट महाप्रबन्धक के व्यक्तिगत अनुमोदन पर दी जा सकती है। ( RBd'sLetter No. E(NG)III/97/RCL/47 Dt.29.11.79 )

(ii) निम्न आयु सीमा में एक वर्ष से अधिक की छूट हेतु रेलवे बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है। ( RBd'sLetter No. E(NG)III/78/RC-III Dt.07.04.83 )

(iii) निम्न आयु सीमा में छूट की गणना सेवानिवृति लाभों हेतु नहीं की जानी चाहिए। कर्मचारी का वेतन जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है,उसके द्वारा धारित पद के न्यूनतम स्तर पर निर्धारित की जाएगी और वह अपनी सामान्य वेतन वृद्वि यदि अन्यथा देय है, 12 महीनों की अर्हक सेवा पश्चात् प्राप्त करेगा। [ RBd'sLetter No. 3(NG)II/80-RR 1/37 Dt.07.07.81 & RBd's O.M.No.78 c 3/68/4/1 (Comp.)dt 29.05.82& NR PS No.8424]

(iv) पूर्ववृति ग्रुप डी कोटि में अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम में उपरी आयु सीमा में छुट हेतु मंडल रेल प्रबनधक सक्षम है।

(v) ग्रुप सी कोटियों में अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम 07 वर्ष तक की में उपरी आयु सीमा में छुट DRM/CWM/HOD तथा 07 वर्ष से ज्यादा 10 वर्ष तक मुख्य कार्मिक अधिकारी तथा इससे अधिक की छुट देने हेतु महाप्रबन्धक सक्षम है।

[ RBd'sLetter No. E(NG)11-80/RR-1/37 Dt.07.07.81 GM(P)NWR L.NO. 740E/R&T/0/Policy/Vol.I dt 19.05.05; 740 E(R&T) CGA/upper age relaxation /(loose 2009) dt. 25.11.09, 743 E/R&T/CGA/JU/DC/ 2013 /8 dt 01.08.13 & 740 E(R&T)2/2 CGA/Non safety /Non Core/Vol.I dt 01.04.15]

(5) शैक्षणिक योग्यता :–

(i) सामान्यतःसमूह ग पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट नहीं दी जोयगी। इनकी शैक्षणिक योग्यता सीधी भर्ती कोटा की रिक्तियों हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के समान ही रहेगी।

(क) NTPC पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों की अनिवार्यता के बिना $12^{th}$ (+2 stage) उत्तीर्ण होगी। [ RBE164/92, 145/14 & Bds Letter Dt.05.03.15 (NWR PS 08/15)]

(ख) गार्ड, सहा.स्टे.मा.,पूछताछ व आरक्षण लिपिक ,वरि.लिपिक इत्यादि पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होगी। ( RBd'sLetter No. E(NG)11/81/RSC/25 Dt.06.05.82 )

(ii) शैक्षणिक योग्यता में छूट हेतु रेलवे बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है और रेलवे बोर्ड निम्नलिखित शर्तो पर ऐसे मामले पर विचार करेगा :– ( RBE56/89 )

(क) आवश्यक योग्यता प्राप्त करने हेतु स्वीकृत अवधि 02 वर्ष होगी।

(ख) ऐसे व्यक्ति को उस समय तक सेवा में नियमित नहीं किया जाएगा जब तक वह आवश्यक योग्यता प्राप्त न कर लें।

(ग) आवश्यक योग्यता प्राप्त किए बिना वह आगे पदोन्नति के योग्य नहीं होगा।

(घ) यदि नियत समय में वह आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं करता है तो उसे समूह–घ में नियुक्ति दे दी जाएगी।

(iii) समूह–घ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होगी। ( RBE 35/99 )

लेकिन अनुकम्पा के आधार पर विधवाओं की समूह –घ के उन पदों पर नियुक्ति की जाए जो सिर्फ उनके लिए आरक्षित है । महाप्रबन्धक /विभागाध्यक्षों /मंडल रेल प्रबन्धको द्वारा समूह–घ के पदों पर विधवाओं/पत्नियों की अनुकम्पा के आधार पर भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में छूट पर विचार किया जा सकता है। बशर्ते वे पद के कर्तव्यों का संतोषजनक ढ़ंग से निर्वहन आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बिना कर सकती है तो शैक्षणिक योग्यता पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। ( RBE 177/99 )

(क) वेतन बैण्ड 5200–20200 में ग्रेड पे 1800/– (पूर्ववृति ग्रुप डी कोटि)में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास या आई.टी.आई. या समकक्ष होगी।

( RBd'sLetter No.E(NG)11/2009/RR-I/10/Pt Dt.09.12.10 )

यह निर्देश 01.04.2011 से प्रभावी होगें तथा दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यार्थियों के पूर्ववृति चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हेतु लम्बित आवेदनों पर रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 09.12.2010 जारी होने के पूर्व के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

[रे.बोर्ड का पत्र सं.E(NG)11/2009/RR-I/10/Pt Dt.05.01.11]

पूर्ववृति चतुर्थ श्रेणी में शैक्षणिक योग्यता संबंधी छूट की अवधि 31.03.11 से बढ़ाकर 31.07.2011 कर दी गई। [रे.बोर्ड का पत्र सं.E(NG)11/2009/RR-I/10/Pt Dt.27.04.11]

(ख) 1800/– ग्रेड पे में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट देने संबंधी शक्तियां रेलवे बोर्ड में निहित होगी। ( RBE 77/11 )

(iv) अनुकम्पा आधार पर नियुक्त होने वाले अभ्यार्थी के पास डिग्री /डिप्लोमा /आईटीआई आदि रेलवे संबंधी योग्यता है और उसे स्कील्ड आर्टिजन की उसी कोटि में नियुक्त किया जाना है जिस संबंधी डिग्री /डिप्लोमा/आई.टी.आई.योग्यता उसके पास है तो उसे 06 माह का प्रशिक्षण ही प्राप्त करना होगा लेकिन उसकी योग्यता से अन्य ट्रेड में लगाया जाता हैं तो उसे 03 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(v) विशेष परिस्थितियों में,जहॉ अनुकम्पा नियुक्ति, भूमि वंचित (Land Losers ), दुर्घटना पीड़ित, LARSGESS तथा एवजी के मामले में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने पर विचार किया जाता है जो संबंधित पद हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है,तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति /नियोजन प्रशिक्षार्थी (trainees ) के रूप में किया जायेगा तथा उसे नियमित वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे ,इस पद संबंधी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने पर दिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान तथा नियमित नियुक्ति पूर्व ऐसे प्रशिक्षार्थियों को – 1S पे बैण्ड का न्यूनतम ,बिना ग्रेड पे के परिलब्धियां (emoluments) देय होगी। भविष्य में नियुक्त होने वालों की 1S पे बैण्ड में व्यतीत अवधि को किसी भी उद्वेश्य से सेवा के रूप में नहीं माना जायेगा, उनकी नियमित सेवा उस दिन से शुरू होगी जब उन्हें 1800/– ग्रेड पे सहित PB-1 रू. 5200–20200में रखा जायेगा।

उपरोक्त संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया है कि :–

(क) 'प्रशिक्षार्थी' के रूप में नियुक्त व्यक्ति प्रथम दिवस से ही सरकारी कर्मचारी होगा तथा बालक शिक्षा भत्ता सहित सभी भत्तों का पात्र होगा।

(अ) ऐसे 'प्रशिक्षार्थी' को पांच वर्ष के भीतर न्यूनतम शैक्षणिक प्राप्त करनी होगी।

(ब) अनुकम्पा आधार पर नियुक्त 'प्रशिक्षार्थी' की परिवीक्षा अवधि (probation period ) उसके द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि से शुरू होगी।

(स) अनुकम्पा आधार पर नियुक्त 'प्रशिक्षार्थी' नियमित रेल कर्मचारी की तरह सभी प्रकार की छुट्टीयों का पात्र होगा लेकिन समयोपरि भत्ता (O.T.) देय नहीं होगा।

(द) अनुकम्पा आधार पर नियुक्त 'प्रशिक्षार्थी' के आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र होगें।

(य) अनुकम्पा आधार पर नियुक्त 'प्रशिक्षार्थी' न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने तक –1S पे स्केल में सामान्य दस से वेतन वृद्वि प्राप्त करेगा तथा मेडिकल सुविधा भी उसी अनुरूप प्राप्त करने का पात्र होगा जैसा कि पूर्व संशोधित वेतनमान 4400–7440 (बिना ग्रेड पे)के धारक को देय थी। ( RBE 102/12 )

(vi) पूर्व रेल कर्मचारियों की विधवायें भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आर.बी.ई. 166/11 में दिये गये निर्देशों से शासित होगी। (RBD's L.No. E(NG)11/2009/RC-I/NE/21 dt. 06.02.2012 NWR PS 05/12)

(vii) रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE 166/2010 में ग्रेड 1800/– में भर्ती हेतु दिये गये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित निर्देशों के कारण जो अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले अस्वीकार कर दिये गये थे उन मामलों पर अब RBE 166/11 में दिये गये निर्देशानुसार पुनः विचार किया जाये।

[RBd'sLetter No.E(NG)-II/98/RC-I/139 Dt.24.02.12 ]

इन निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया गया है कि विधवा /पत्नि की नियुक्ति के मामले में अगर वे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखती है तब भी उन्हें सीधे पे बैण्ड –1(रू. 5200–20200)+ ग्रेड पे रू.1800/– में रखा जायेगा बशर्त है कि नियुक्ति अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि जिस पद पर उसे लगाया जा रहा है उस संबंधी कार्य उसके द्वारा सेवा अन्तर्गत प्रशिक्षण (on job training) देकर करवाया जा सकता है। ( RBE 102/12 )

(viii) RBE 166/2010 द्वारा 1800 ग्रेड पे में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में दी गई छुट Substitute Bunglow Peon/TADK की नियुक्ति हेतु देय नहीं होगी। ( RBE 128/13 )

(ix) ग्रुप सी के प्रशिक्षुओं को केवल स्वयं का पास (तथा पी.टी.ओ.) उस पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन के अनुरूप देय होगा जिस पद पर प्रशिक्षण पश्चात् इन्हें लगाया जाना है।

[RBd'sLetter No.E(W)2014/ps-5-6/1 Dt.21.02.14(NWR PS 13A/14)]

नोटः– इस प्रशिक्षण का उस प्रशिक्षण से कोई संबंध नहीं है जहां ग्रेड पे 1900 व उच्च में प्रशिक्षु को स्टाईपंड मिलता है ना कि वेतन । [RBd'sLetter No.E(NG)11/2015/RC-1/GENEL-2 Dt.23.04.15(NWR PS 22/15)]

<u>उच्चतर योग्यता प्राप्त करना :–</u>

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन करते समय भूतपूर्व कर्मचारी की संतान/पति या पत्नि की शैक्षणिक योग्यता पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन नियत समय में प्रस्तुत कर देना चाहिए। ( RBE 88/07 )

फिर भी ,वैयक्तिक मामले की प्राथमिकता के आधार पर यदि महाप्रबन्धक ऐसा सोचता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट अति–आवश्यक है,तो ऐसे मामलों को बोर्ड को भेजा जाना आवश्यक है। ( RBE 35/99 )

<u>(6) श्रेणियां जिनमें अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है–</u>( RBE 66/86&200/2k )

(i) अशिक्षित विधवाओं को समयोजित करने के लिए निम्नलिखित पद केवल विधवाओं /पत्नियों की नियुक्ति हेतु आरक्षित रखे जाने चाहिये :–

(A) पानी वाली
(B) हास्पिटल आया/परिचारिका (महिला
(C) सिंडर पिकिंग वूमेन (Cinder Picking Women )
(D) सफाईवाली

(E) सवारी व माल डिब्बा खलासी (केवल Waste Picking हेतु )
(F) विश्राम कक्ष परिचारिका
(G) रेलवे हॉस्पिटल और रेलवे स्कूलों में आया और सफाई करने वाली
(H) खान–पान विभाग में परोसने वाली
(I) उप मंडलीय अधिकारियों (अर्थात् AEN's PWI's इत्यादि )से संबंध खलासी
(J) कार्यालय चपरासियों की रिक्तियों का कुछ प्रतिशत।

(ii) वरि.मंडल इंजी0/सम0 की सहमति से महिलाओं को स्टेशन या यार्ड की सीमाओं में अवस्थित रेलपथ की गैंग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। ( RBE 129/97 )

(iii) उन श्रेणियों /पदों पर ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है जहां सीधी भर्ती कोटे का तत्व विद्यमान है।

(iv) अनुकम्पा आधार पर लिपिक के रूप में नियुक्ति हेतु महाप्रबन्धक का व्यक्तिगम अनुमोदन आवश्यक है। ( RBE 210/91 )

(v) अनुकम्पा आधार पर मंत्रायलिक कोटि (लिपिक /वरि.लिपिक)में नियुक्त अभ्यार्थी को नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर टाईपिंग दक्षता प्राप्त करनी होगी ( 30 w.p.m. अंग्रेजी में या 25 w.p.m. हिन्दी में )ऐसा ना होने पर उस अभ्यार्थी को अमंत्रायलिक व अवाणिज्यक संवर्ग ( Non Ministerial and Non Commercial Cadre ) में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। ( RBE 69/97&41/4 )

(vi) अनुकम्पा नियुक्ति वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर की जाती है ,लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी दुर्लभ और विशिष्ठ मामले में जहां परिस्थितियों विशेषतः प्रतिकूल है और मामले की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से वेतन का उच्च या अधिकतम स्तर पर निर्धारण कर सकता है।

[RBd'sLetter No.E(NG)11/83/RC-1/68 Dt.07.12.83]

उपरोक्त आदेशों में संशोधन करते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि उच्च या अधिकतम स्तर पर वेतन निर्धारण संबंधी मामले FA&CAO की Concurence से महाप्रबन्धक के व्यक्तिगत स्तर पर ही निष्पादित किए जायेगें। ( RBE 77/11 )

(7) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राथमिकता :– ( RBd'sLetter No. E(NG)III/78/RC-III Dt.07.04.83 )

अनुकम्पा के आधारपर नियुक्ति करते समय निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम का पालन किया जाना चाहिए –

रेल कर्मचारी जो कर्त्तव्य के दौरान रेल दुर्घटना में दिवंगत या स्थायी रूप से अपंग हो जाए ,के आश्रित को।

(i) रेल कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान रेल दुर्घटना में हो जाए,के आश्रित को ।
(ii) रेल कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हो गई हो ,के आश्रित को।
(iii) रेल कर्मचारी जो सेवा के दौरान चिकित्सकीय रूप से पूर्णतः अयोग्य हो गया हो ,के आश्रित को। प्राथमिकता (i) मामलों में एक माह में तथा अन्य मामलों में तीन माह में नियुक्ति दे दी जानी चाहिए।

नैमेतिक श्रमिक हेतु :–

(i) अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमेतिक श्रमिक जिनकी मृत्यु कार्य समय के दौरान हो जाती है उनकी संतान को नए नैमेतिक श्रमिक या एवजी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।( RBE 256/86 )
(ii) नैमेतिक श्रमिक जिनकी मृत्यु कार्य समय में दुर्घटना के कारण हो जाती है उनकी संतान को नए नैमेतिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
उपर्युक्त दोनों मामलों में महाप्रबन्धक नए नैमेतिक श्रमिक/एवजी के रूप में नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी है।
(iii) अस्थायी एवजी जिसकी मृत्यु कार्य समय में हो जाती है उसकी संतान को नए एवजी के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। ( RBE 147/93 )

(8) मेडिकल परीक्षा :– अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अभ्यार्थी को जिस पद पर नियुक्त किया जाना है उस पद हेतु निर्धारित मेडिकल कोटि के अनुरूप मेडिकल परीक्षा होगी। अगर अभ्यार्थी निर्धारित मेडिकल परीक्षा में पास नहीं होता तो कार्मिक शाखा संबंधित शाखा से विचार कर ऐसे पद का निर्धारण करेगी जिस पर वह अभ्यार्थी अपनी उत्तीर्ण मेडिकल कोटि के अनुरूप ,मेडिकल में दर्शायी गई विकलांगता के बावजूद कार्य कर सके। ( R.B. Letter No. 2013/H/5/5 Dt.20.10.15(NWR PS 95/15 )

(9) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया :–

(i) कल्याण निरीक्षक को मृत कर्मचारी के परिवार से तत्काल सम्पर्क करके उन्हें नियमों की जानकारी व चैक लिस्ट प्रदान करनी होगी कि कौन–कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
इसके अतिरिक्त कल्याण विंग अपने पास एक रजिस्टर रखेगी जिसमें मृत/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत /लापता कर्मचारी व उसके परिवार की सम्पूर्ण जानकारी रहेगी। ( RBE 101/94 )

(ii) पारिवारिक विवरण,आर्थिक स्थिति ,नियुक्ति का आधार इत्यादि से संबंधित सम्पूर्ण जांच की जाएगी।

(iii) विधवा/विधुर तथा उम्मीदवार (नियुक्ति हेतु योग्य ) से आवश्यक शपथ पत्र प्राप्त किये जायेगे।

(iv) सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ समेकित रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को सौंपी जाएगी।

(v) समूह "ग" में नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों को उपयुक्तता परख हेतु बुलाया जाएगा जिसे एक कार्मिक अधिकारी सहित तीन वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की समिति तय करेगी।( RBE 274/89 )

(vi) समूह "ग" पदों हेतु उपयुक्तता परख एक दिन में पूर्ण कर लेनी चाहिये अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार एक ही दिन में आयोजित किए जाने चाहिए। ( RBE 158/98 )

(vii) (a)अनुकम्पा आधार पर समूह "ग" में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता परख में यदि अभ्यर्थी प्रथम प्रयास में अनफिट घोषित किया जाता है तो अभ्यर्थी को अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए।(RBE 84/99 )

(b) ग्रुप–सी पद पर अनुकम्पा हेतु द्वितीय अवसर में भी उत्तीर्ण न होने की अवस्था में रेल कर्मचारी की विधवा को महाप्रबन्धक की स्वीकृति से तृतीय अवसर देय होगा। ( RBE 192/01 )

(c) ऐसे अभ्यार्थी जो सहायक स्टेशन मास्टर तथा सहायक लोको पायलेट के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर लेते है उन्हें Aptitude Test हेतु एक दिन पूर्व बुलाया जायेगा तथा विशेष मामलों में रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से छःमाह के अन्तराल से अतिरिक्त (दूसरा) अवसर भी देय होगा। ( RBE 53/07 )

(d) रेलवे बोर्ड द्वारा निर्णित किया गया है कि अनुकम्पा आधार पर सहायक स्टेशन मास्टर व सहायक लोको पायलट के पद पर नियुक्ति के क्रम में Aptitude Test हेतु विशेष मामलों में अतिरिक्त (दूसरा)अवसर छः माह के अन्तराल के स्थान पर तीन माह के अन्तराल पर दिया जा सकता है। ( RBE 74/10 )

(viii) समूह "घ" श्रेणी में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता एक कार्मिक अधिकारी सहित तीन सहायक अधिकारियों द्वारा तय की जाएगी।
स्क्रीनिंग समिति द्वारा पद विशेष हेतु उपयुक्त पाए जाने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण और पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण से गुजरना होगा,यदि कोई है। ( RBE 274/89 )

(ix) मृत्यु के मामलों में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु पहली बार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को नजदीकी रेलवे स्टेशन से परीक्षा /साक्षात्कार के स्थान और वापसी हेतु द्वितीय श्रेणी का विशेष पास दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी प्रथम प्रयास में परीक्षा/साक्षात्कार में असफल रहता है और उसे दूसरे प्रयास हेतु बुलाए जाने पर इस प्रकार का कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। ( RBE 275/99 )

(x) कोई भी व्यक्ति जिस पर अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाता है उसे लिखित में एक वचन देना होगा कि वह परिवार के उन अन्य सदस्यों की उचित देखभाल करेगा जो रेल कर्मचारी पर आश्रित थे। यदि तत्पश्चात् यह प्रमाणित होता है कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों की अनदेखी की जा रही है या उचित देखभाल नहीं की जा रही है तो उसकी नियुक्ति क्षैत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धकों और उत्पादन इकाईयों के महाप्रबन्धको/CAO's द्वारा खत्म/रश्र कर दी जाएगी। सचिव,रेलवे बोर्ड इस शक्ति का प्रयोग रेलवे बोर्ड कार्यालय में कार्यरत स्टाफ के संबंध में करेगा। उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से करेगा और ये दूसरो को नहीं सौंपी /प्रत्यायोजित की जाएगी। लेकिन सेवा समाप्ति से पूर्व संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा ताकि वह स्थिति को स्पष्ट कर सके। ( RBE 44/2002 )

(xi) समूह "ग" पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु एक उम्मीदवार योग्य होता है और उसे उपयुक्त भी पाया जाता है ,लेकिन समूह "ग" में रिक्ति न होने पर उसे समूह "घ" का पद दिया जाता है और वह उसे स्वीकार कर लेता है तो जैसे ही समूह "ग" में उपयुक्त रिक्ति होती है,उसकी नियुक्ति समूह "ग" में करने पर विचार किया जा सकता है।

( RBd's. No. E(NG)11-84/RC-1/Policy Dt.31.03.84 )

(xii) जो व्यक्ति रेलवे में किसी पद पर पहले से नियुक्त है उसकी नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर उच्चतर ग्रेड में अन्य पद पर नहीं की जानी चाहिए।

( RBd's. No. E(NG)11-83/RC-1/77 Dt.08.09.83 )

(xiii) आरबीई 199/92 के संदर्भ में जब अनुकम्पा आधार संतान /विधवा इत्यादि की नियुक्ति किसी श्रेणी /ग्रेड विशेष में कर दी गई है ,तो इसके पश्चात् उसी आधार पर श्रेणी/ग्रेड में परिवर्तन की इजाजत नहीं है। लेकिन रेलवे बोर्ड के प.सं. E(NG)II/2001/RC-1/GENL/13 DT 07.08.09 ) द्वारा संशोधित कर स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में अभ्यर्थी को आंवटित श्रेणी में परिर्वतन पर अभ्यार्थी के नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने और चिकित्सकीय परीक्षण से गुजर जाता है तो श्रेणी में परिवर्तन चिकित्सकीय परीक्षण में अनफिट होने पर या श्रेणी आंवटित करने वाले प्राधिकारी से उच्चतर अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

(xiv) मंडल मुख्यालय के मृत कर्मचारी की संतान/ विधवाओं की कार्यशाला में नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। हांलाकि जब कभी सम्भव हो,कार्यशाला के मृत कर्मचारियों की संतान /विधवाओं को मंडल मुख्यालय में समायोजित किया जा सकता है। ( RBE 26/03 )

(xv) वे मामले जहां कर्मचारी 18.01.2000 से 14.06.2006 के बीच चिकित्सकीय रूप से विकोटिकृत हुए है और 14.06.2006. के पश्चात् हुए विकोटिकरण के मामलों पर उसी अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए जैसे 18.01.2000 का पत्र जारी होने से पूर्व होती थी। ( RBE 165/06 )

(xvi) आर.पी.एफ./आर.पी.एस.एफ कर्मचारियों की विधवा /संतान को अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी मामले सुरक्षा शाखा में ही मंत्रायलिक कोटि सहित अन्य कोटियों में नियुक्ति हेतु प्रोसेस किए जायेगें तथा यहां ऐसे मामले अन्तिम नहीं होने की अवस्था में अन्य विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु मामला महाप्रबन्धक (कार्मिक ) को विचारार्थ भेजा जायेगा।

( RBd's. No. 88sec(E)/RC-3/43/ Pol. Pt.Dt.12.07.11(NWR PS 45/11)

(ii) "अनुकम्पा नियुक्ति " संबंधी बकाया मामलों के निष्पादन हेतु प्रथम अदालत भारतीय रेल पर दिनांक 10 नवम्बर 2005 को आयेाजित हुई । ऐसी अदालतें मंडल स्तर पर अपर मं.रे.प्र. व वरि.मं. का.अ. द्वारा तथा मुख्यालय स्तर पर अति महाप्रबन्धक व मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है।

( RBE 127/05 )

(i) मंडल स्तर पर वरि.मं.का.अ.व मुख्यालय स्तर पर मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी मामलों की मोनेटरिंग की जायेगी। ( RBE 126/02 )

(xvii) अनुकम्पा नियक्ति हेतु हित निरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट संबंधित अभ्यार्थी की सेवा –पुस्तिका में रखी जायेगी। ( RBE 45/13 )

## आरपीएफ/आरपीएसएफ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

आरपीएफ/आरपीएसएफ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करेन हेतु RBd's. Letter No. 88 sec(E)/RC-3/43/ Pol. Pt.Dt.12.07.11 & E(NG) II/2012/RC-I/GENE/12 dt 29.05.12 में नवीनतम निर्देश जारी किए है जिसके अनुसार– आरपीएफ/आरपीएसएफ में सर्वप्रथम इसी विभाग के कर्मियों के बच्चों/पति या पत्नि को रिक्त पद की एवज में सभी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने हेतु विचार किया जायेगा। यदि वे आरपीएफ नियम –1987, जो कि समय–समय पर संशोधित होते रहे है,के अनुरूप योग्य पाये जाते है। यदि वे आरपीएफ/आरपीएसएफ में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं पाए जाते है तो मामला अन्यत्र विभाग में नियुक्ति हेतु संबंधित क्षैत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धक (कार्मिक ) को विचारार्थ प्रेषित किया जायेगा। उपरोक्त आदेशों में आशिंक संशोधन करते हुए रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 29.05.2012 द्वारा यह विनिश्चित किया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अभ्यार्थी सुरक्षा शाखा (security Deptt.) सहित सभी विभागों की रिक्तियों पर विचार किए जाने के पात्र होगें।

आरपीएफ/आरपीएसएफ में इस विभाग के अलावा रेलवे के अन्य विभाग के उन उम्मीदवारों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जा सकती है जो के अपनी इच्छानुसार यहां नियुक्ति चाहते है। नियुक्ति प्रदान करते समय सर्वप्रथम प्राथमिकता उस मामलों में दी जायेगी जहां आरपीएफ /आरपीएसएफ कर्मी ड्यूटी के दौरान एन्काउन्टर में मारे गए है। दूसरी प्राथमिकता ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मारे गए अथवा स्थायी रूप से अपंग हो गए है। तीसरी प्राथमिकता रेलवे अथवा अन्य दुर्घटना में मृत्यु होने पर जबकि वह ड्यूटी पर न हो तथा चौथी प्राथमिकता का कडाई से पालन किया जायेगा तथा जहां कहीं प्राथमिकता से हटकर ग्रेड पे 1800/– तथा ऊपर के किसी पद पर नियुक्ति देनी हो तो डायरेक्टर जनरल/आरपीएफ की स्वीकृति आवश्यक होगी। सुरक्षा शाखा (security Deptt) में 4200/– ग्रेड पे में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति हेतु मह्मपबन्धक का व्यक्तिगत अनुमोदन आवश्यक

होगा। (रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 29.05.12) आरपीएफ /आरपीएसएफ में कान्सटेबल व उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शारीरिक दक्षता लेने के मापदण्ड निम्नानुसार हैः– अगर कोई उम्मीदवार मधमेह रोग के कारण से चिकित्सा परीक्षण में फेल हो जाता है तो ऐसे मामलों को रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2008/एच/5/18 दिनांक 08.01.2016 के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

| स्पर्धा | पुरूष | महिला | अवसर |
|---|---|---|---|
| 1600मीटर | 7 मिनिट | लागू नहीं | एक |
| 800 मीटर | – | 4 मिनिट 30 सैकण्ड | एक |
| उंची कूद | 1.00मीटर | 0.75मीटर | दो |
| लम्बी कूद | 3.25मीटर | 2.4 मीटर | दो |
| गोला फैंक(वजन16 Ibs) | 4.00मीटर | – | दो |

1600/800 मीटर की दौड़ में सफल होने वाले उम्मीदवार ही अगली स्पर्धा में भाग लेगें। दौड में सफल पाए जाने पर ही सिर्फ पुरूष उम्मीदवार की ऊचांई व सीने का नाप जोख किया जायेगा। प्रार्थी शारीरिक दक्षता की किसी भी स्पर्धा में या शारीरिक मापदण्ड अर्थात् ऊचांई व सीने में असफल पाया जाता है तो उसे असफल घोषित किया जायेगा।

कान्सटेबल व उपनिरीक्षक के पदो के अलावा अन्य पदों हेतु शारीरिक दक्षता जांच 1600मीटर की दौड ,लम्बी कूद व गोला फैंक की होगी,जैसा की ऊपर दर्शाया गया है। सर्वप्रथम 1600मीटर की दौड होगी तथा इसमें योग्य पाए गये उम्मीदवार को ही अन्य स्पर्धा में भाग लेने दिया जायेगा।

शारीरिक दक्षता जांच में उसी उम्मीदवार को योग्य मानाा जायेगा जो कि दौड और लम्बी कूद अथवा गोला फैंक स्पर्धा में सफल पाया जाता है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया :–

संबंधित रेल प्रशासन द्वारा नामित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा भूतपूर्व आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मी के बच्चों /दम्पति की उपयुक्तता जांच ( इसमें शारीरिक मापदण्ड,शारीरिक दक्षता जांच) रेलवे में अन्य विभागों के बच्चों /दम्पत्ति के साथ ही की जायेगी । इस हेतु आरपीएफ/आरपीएसएफ बच्चों /दम्पत्ति की उपयुक्तता जांच हेतु आरपीएफ/आरपीएसएफ के एक उपयुक्त स्तर के अधिकारी को भी स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया जायेगा। आरपीएफ/आरपीएसएफ में किसी पद हेतु अन्तिम चयन,उपयुक्तता जांच (शारीरिक मापदण्डों व शारीरिक परीक्षा जांच)में दी गयी परफोरमेन्स पर आधारित होगा।

यदि कोई बच्चा/दम्पत्ति आरपीएफ/आरपीएसएफ में किसी पद हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तों स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर उन्हें रेलवे के किसी अन्य विभाग में लगाया जा सकता है।

उपयुक्तता जांच की सामान्य स्थिति :

आरपीएफ/आरपीएसएफ में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्तता जांच ,संबंधित रेलवे के कार्मिक विभाग द्वारा बनाई गई पद्धति अनुसार ही होगी।

नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी :

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु संबंधित क्षैत्रीय रेलवे का चीफ सिक्यूरिटी कमिश्नर एवं चीफ सिक्यूरिटी कमिश्नर/आरपीएसएफ सक्षम होगे।

( इस संबंध में उ.प.रे.का संयुक्त प्रक्रिया आवेदन पत्र सं. 760 E/0/RC/2/Policy (PS-18/12)dt 29.03.12 के अन्तर्गत जारी किया गया। )

–अपने पूर्व कर्मचारियों के योग्य परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही आरपीएफ/आरपीएसएफ विभाग द्वारा ही अपने विभाग में नियुक्ति हेतु की जायेगी तथा ऐसा संभव न होने पर अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु मामला मह्यपबन्धक को अग्रेषित किया जायेगा।

( Rly Bd's. No. 88sec(E)/RC-3/43/ Pol. Pt.Dt.12.07.11(NWR PS 45/11)

–मेडिकल विकोटिकृत आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मचारी जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृति ली है तथा जिसकी सेवा में पांच वर्ष या ज्यादा का समय बाकि है ,के योग्य बच्चों को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है । लेकिन ऐसी नियुक्ति 1800 ग्रेड पे में ही होगी।

–आरपीएफ/आरपीएसएफ के गुमशुदा कर्मचारियों के बच्चे/पत्नि के अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है। ( Rly Bd's. L.No.2014SEC(E)/RC-3(CG) Dt.16.03.15(NWR PS 09/15)